म.प्र. शासन, वन विभाग
म.प्र. राज्य बांस मिशन
खेल परिसर, 74 बंगला, भोपाल – 462003
दूरभाष नं. – 0755 2555524, 2674341
mpbamboomission@mp.gov.in

सलाहकार की सेवाओं की आवश्यकता

मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन द्वारा बांस सेक्टर के विकास की विभिन्न योजनाऐं संचालित की जा रही है। मिशन को बांस शिल्प के विकास के लिये एक सलाहकार की सेवाओं की आवश्यकता है। संबंधित व्यक्ति म.प्र. शासन के किसी उपक्रम/संस्था से मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक के पद से न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा के बाद सेवा निवृत्त होना चाहिये। विवरण वन विभाग की वेब साइट https://mpforest.gov.in/ एंव राज्य बांस मिशन की https://mpbamboomission.org/ पर उपलब्ध है। आवेदन विज्ञापन प्रकाशित होने से 7 दिन के अंदर मिशन कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये।

मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन द्वारा बांस सेक्टर के विकास के लिये राष्ट्रीय बांस मिशन, भारत सरकार द्वारा संचालित योजना का मध्यप्रदेश में कियान्वयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र में पौधा रोपण के लिये अनुदान, बांस आधारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा बांस उत्पाद निर्माण के लिये केपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना, नर्सरी एक्रीडिटेशन योजना, बांस शिल्पियों का कौशल उन्नयन आदि योजनाऐं संचालित की जा रही है। मध्यप्रदेश में बांस मिशन की योजनाओं के संचालन हेतु सलाहकार की आवश्यकता है। सलाहकार को निम्नलिखित कार्यों के लिय संबंधी सेवाऐं देना होंगी –

1. प्रदेश के बांस शिल्पियों को बुनियादी प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण हेतु हितग्राहियों का चयन कर प्रशिक्षण के लिये आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
2. प्रदेश के कृषकों का बांस पौधा रोपण हेतु मिशन कार्यालय से संपर्क करने वाले कृषकों को अनुदान योजना के संबंध में मार्गदर्शन करना।
3. बांस उत्पाद का निर्माण करने के इच्छुक उद्यमियों को प्रोजेक्ट बनाने में मार्गदर्शन देना। बैंक के माध्यम से प्रोजेक्ट आने पर उनका परीक्षण कर प्रोजेक्ट स्वीकृति के लिये समिति के समक्ष प्रस्तुत करना तथा प्रोजेक्ट के सफल संचालन के संबंध में फालोअप लेना।
4. बांस उद्यमियों को इकाई स्थापना के संबंध में विधिक मार्गदर्शन एवं सलाह देना।
5. बांस उत्पादन निर्माण के इच्छुक उद्यमियों को उत्पाद निर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु मार्गदर्शन देना।
6. बांस शिल्पियों /उद्यमियों को उनके उत्पाद की राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिये मार्गदर्शन एंव प्रदर्शनियों में भागीदारी हेतु समूचित सलाह देना।

02/06/20

7. बांस मिशन की कार्यकारिणी समिति, साधारण सभा, राज्य स्तरीय परिचालन समिति तथा राज्य बांस मिशन की अन्य समितियों के लिये एजेण्डा बनाना और बैठक के बाद कार्यवाही विवरण तैयार करना।
8. प्रदेश के परम्परागत बांस शिल्पकार (बसौड़ समाज) व बांस शिल्पियों से जीवन्त संपर्क बनाये रखना।
9. मिशन को सूचना अधिकार अधिनियम के संबंध में आवेदन आने पर मार्गदर्शन देना।
10. विभिन्न संस्थाओं के साथ एम.ओ.यू. की सहमति होने पर एम.ओ.यू. प्रारूप तैयार करना ।
11. राष्ट्रीय बांस मिशन, भारत सरकार हेतु कार्य योजना बनाने में आवश्यक सहयोग देना।
12. आडिट आपत्तियों का उत्तर बनाने में सहयोग देना।
13. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य बांस मिशन द्वारा समय–समय पर सोंपे गये अन्य समस्त कार्य करना।

अतः सलाहकार में उपरोक्त कार्य करने की योग्यता व संबंधित कार्य का पूर्व अनुभव होना चाहिये।

उपरोक्त प्रत्येक बिन्दु पर अपने अनुभव की जानकारी आवेदन के साथ दी जानी चाहिये।

चयनित सेवा निवृत्त अधिकारी अधिकतम 70 वर्ष की उम्र तक ही अपनी सेवाऐं मिशन को उपलब्ध करवा सकेगा।

अनिवार्य अहर्ता – मध्य प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों में मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक के पद पर न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा का अनुभव होना चाहिये। सेवा निवृत्त अधिकारी आवेदन के साथ अपना सी.वी. संलग्न कर 7 दिवस में आवेदन म. प्र. राज्य बांस मिशन के ईमेल **mpbamboomission@mp.gov.in** पर भेज सकते है।

सेवाओं की शर्तें म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के तहत ली जावेंगी। यह सेवाएं पूर्णकालिक होंगी। अतः सलाहकार को रू. 40,000.00 प्रति माह प्रोफेशनल फीस मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य पात्रता (वाहन/दूरभाष) नहीं होगी। कार्यालय द्वारा केवल कम्प्यूटर/टाइपिंग की व्यवस्था की जावेगी तथा अन्य कोई अधीनस्थ कर्मचारी उपलब्ध नहीं किया जावेगा।

आवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग राज्य बांस मिशन द्वारा गठित समिति से कराई जावेगी। सलाहकार चयन हेतु समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य बांस मिशन का निर्णय अंतिम होगा।

02/06/20